



eeepwdbhowali@rediffmail.com

पत्रांक

/8सी0

दिनांक 9.2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

विषय— जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु के अन्तर्गत हेतु 1.53 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन(प्रस्ताव स0 एफ0पी0/यू0के0/रोड /43594/2019)

सन्दर्भ— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 129/एफ0पी0/यू0के0/रोड /43594/2019 दिनांक 13.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट जिसके कम मे उक्त मोटर मार्ग के प्रस्तावो पर आपत्तियां लगायी गयी है जिनका बिन्दुवार निराकरण किया जा रहा है।

क्रम0स0	बिन्दु	आख्या
1	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र भाग-2 प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाना है। जो नहीं भरा गया है।	प्रपत्र भाग-2 आपके कार्यालय से भरा जाना है।
2	प्रस्ताव में संलग्न अधिकांश प्रपत्र/ प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी है।	यह प्रस्ताव पूर्व में 4.00 किमी0 में तैयार किया गया नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा मार्ग की लम्बाई कम करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके कम में पुनः मार्ग की लम्बाई 1.850 किमी मे तैयार किया गया है। नये प्रपत्रो पर अन्य विभागो अधिकारीयो के हस्ताक्षर कराये गये। पूर्व में सभी मूल प्रतियो थी जो misplace होने के कारण छाया प्रति संलग्न है।
3	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 12पर संलग्न है। जिस पर आपके प्रतिहस्ताक्षर होने है।
4	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 26.27.28 एवं 30 में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची मे प्ररस्पर एक रूपता नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 26.27.28 एवं 30 में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची को सही कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में प्रपत्र कमवार संलग्न नहीं किये गये है।	प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में प्रपत्र कमवार संलग्न कर दिये गये है।
6	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम एवं इंग्लिश नाम सहित सूची प्रस्ताव में संलग्न की जानी है।	वन विभाग के पास प्रभावित वृक्षों के वैज्ञानिक व इंग्लिश नामों की सूची उपलब्ध रहती है। अतः आपसे से अनुरोध है कि प्रभावित वृक्षो के वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न करने का कष्ट करें।
7	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की कै एनाइलिस की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। डी0एस0एस0 की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड की जानी है।	कै एनाइलिस रिपोर्ट व डी0एस0एस0 की रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड की जानी है। अतः आपसे से अनुरोध है कि रिपोर्ट को अपलोड करने का कष्ट करें।
8	प्रस्ताव में संलग्न के0एम0एल फाईल मे मलवा निस्तारण स्थल नहीं दर्शाये गये है।	मार्ग मे निकलने वाले मलवे की के0एम0एल फाईल इस कार्यालय के पत्रांक 237/8सी दिनांक 6.2.2019 व 737/8सी दिनांक 22.5.2019 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को पूर्व मे प्रेषित किये गये है। पुनः संलग्न है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)



eeppwdbhowali@rediffmail.com



9	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में वर्तमान दरों के अनुसार संलग्न की जाये।	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में वर्तमान दरों के अनुसार संलग्न किया गया है।
10	वैकल्पिक समरेखण एवं वर्तमान समरेखन की लम्बाई का विवरण एवं प्रभावित वन भूमि का comparative chart प्रस्ताव में संलग्न होना है।	वैकल्पिक समरेखण एवं वर्तमान समरेखन की लम्बाई का विवरण एवं प्रभावित वन भूमि का comparative chart प्रस्ताव के पृष्ठ 18 में संलग्न है।
11	वैकल्पिक एवं वर्तमान समरेखन में प्रभावित वृक्षों की सूची संलग्न की जानी है।	वर्तमान समरेखन को ही स्वीकृत किया जाता है। जिस कारण वर्तमान समरेखन पर की पर ही वृक्षों की गणना की गयी है। वैकल्पिक समरेखन पर वृक्षों की गणना नहीं की जाती है।
12	परियोजना में नाप भूमि से सम्बन्धित भूमिधरो के स्वामित्व व उनकी अनापत्ति संलग्न की जानी है।	परियोजना में नाप भूमि से सम्बन्धित भूमिधरो के स्वामित्व व उनकी अनापत्ति संलग्न की जानी है जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ स0 33 में अंकित है।
13	प्रस्ताव में वनाधिकार से सम्बन्धित प्रपत्र पूर्ण रूप से संलग्न नहीं किये गये हैं जिसमें उप जिला स्तरीय समिति की बैठक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। ग्राम सभा की बैठक से सम्बन्धित प्रपत्र में तिथि अंकित नहीं की गयी है।	प्रस्ताव में वनाधिकार से सम्बन्धित प्रपत्र पूर्ण रूप से संलग्न है, जिसमें उप जिला स्तरीय समिति की बैठक का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। ग्राम सभा की बैठक से सम्बन्धित प्रपत्र में तिथि अंकित कर दी गयी है।
14	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2011-एफ0सी0(वोल-1)दिनांक 6.01.2022 द्वारा एन0पी0वी0 की दरों का पुर्ननिर्धारण किया गया है। जिनमें एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि जमा करायी जानी है।	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2011-एफ0सी0(वोल-1)दिनांक 6.01.2022 द्वारा एन0पी0वी0 की दरों का पुर्ननिर्धारण किया गया है। जिनमें एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि जमा करायी जायेगी। संलग्न है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त मार्ग के प्रस्तावों पर लगी आपत्तियों की निराकरण आख्या अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)

पत्रांक 1536 /8सी0
प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता तृतीय अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल को सूचनार्थ एवं आशय के साथ प्रेषित की प्रकरण पर व्यक्तिगत रुचि लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि- खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आशय के साथ प्रेषित की प्रकरण पर व्यक्तिगत रुचि लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

12/9/2022
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)